

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART
II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, dated, 12th June., 2018

G.S.R. ___ (E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009, namely: –

1. (1) Short Title and commencement. - These rules may be called the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Limited Liability Partnership Rules, 2009, in rule 10, -

(a) for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(1) Every individual, who intends to be appointed as a designated partner of an existing limited liability partnership, shall make an application electronically in Form DIR-3 under the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014 for obtaining DPIN under the Limited Liability Partnership Act, 2008 and such DIN shall be sufficient for being appointed as designated partner under the Limited Liability Partnership Act, 2008.”.

(b) in sub-rule (4), for clause (i) , the following clause shall be substituted, namely: -

“(i) Every individual who has been allotted a DPIN or DIN under these rules, shall in the event of any change in his particulars, make an application in Form DIR-6 under Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014 to intimate such change(s) to

the Central Government within a period of thirty days of such change(s).”.

[F. No. 17/61/2016-CL-V (Pt.1)]


12/6/18
K.V.R. MURTY, Joint Secretary

Note : The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide GSR Number 299(E), dated the 1st April, 2009 and subsequently amended vide the following notifications:-

S.No	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 299 (E)	01 st April, 2009
2.	G.S.R. 385 (E)	04 th June, 2009
3.	G.S.R. 24 (E)	11 th January, 2010
4.	G.S.R. 914 (E)	15 th November, 2010
5.	G.S.R. 506 (E)	05 th July, 2011
6.	G.S.R. 680 (E)	14 th September, 2011
7.	G.S.R. 796 (E)	04 th November, 2011
8.	G.S.R. 430 (E)	05 th June, 2012
9.	G.S.R. 485 (E)	21 st June, 2012
10.	G.S.R. 692 (E)	14 th September, 2012
11.	G.S.R. 786 (E)	15 th October, 2015
12.	G.S.R. 418 (E)	13 th April, 2016
13.	G.S.R. 593 (E)	10 th June, 2016
14.	G.S.R. 570 (E)	16 th May, 2017

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 37, 2018

सा.का.नि.(अ) - केंद्रीय सरकार, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का नाम सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये उनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 में, नियम 10 में, -

(क) उपनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् -

“(1) प्रत्येक वैयक्तिक, जो किसी वर्तमान सीमित देयता भागीदारी के नामनिर्दिष्ट भागीदार के रूप में नियुक्त होने का इच्छुक है, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत डीपीआईएन प्राप्त करने के लिए कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के तहत प्ररूप डीआईआर-3 में इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा और ऐसा डीआईआर सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत नामनिर्दिष्ट भागीदार के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त होगा।”।

(ख) उपनियम (4) में खंड (i) के लिए निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् -

“(i) प्रत्येक वैयक्तिक, जिसे इन नियमों के तहत डीपीआईएन या डीआईएन आबंटित किया गया है, अपनी विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में ऐसे परिवर्तन (परिवर्तनों) के 30 दिन के भीतर की अवधि में केंद्रीय सरकार को सूचित करने हेतु कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के तहत प्ररूप डीआईआर-6 में आवेदन करेगा।”।

[फा.सं.17/61/2016-सीएल.V(पार्ट-1)]

के.वी.आर.मूर्ति
(2/6/18)
(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 229(अ), तारीख 01 अप्रैल, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना का तारीख
1.	सा.का.नि.229(अ)	01 अप्रैल, 2009
2.	सा.का.नि.385(अ)	04 जून, 2009
3.	सा.का.नि.24(अ)	11 जनवरी, 2010
4.	सा.का.नि.914(अ)	15 नवंबर, 2010
5.	सा.का.नि.506(अ)	05 जुलाई, 2011
6.	सा.का.नि.680(अ)	14 सितंबर, 2011
7.	सा.का.नि.796(अ)	04 नवंबर, 2011
8.	सा.का.नि.430(अ)	05 जून, 2012
9.	सा.का.नि.485(अ)	21 जून, 2012
10.	सा.का.नि.692(अ)	14 सितंबर, 2012
11.	सा.का.नि.786(अ)	15 अक्टूबर, 2015
12.	सा.का.नि.418(अ)	13 अप्रैल, 2016
13.	सा.का.नि.593(अ)	10 जून, 2016
14.	सा.का.नि.470(अ)	16 मई, 2017
